Toppersnotes®
Unleash the topper in you

BPSC

Prelims & Mains

बिहार संघ लोक सेवा आयोग

सामान्य अध्ययन

पेपर 2 – भाग – 4

भारतीय राजनीति और संविधान

SIERRA INNOVATIONS

BPSC

पेपर 1 भाग 1

भारतीय राजनीति और संविधान

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ** • संविधान के कार्य • भारत के संविधान का विकास • संविधान सभा • संविधान सभा का कार्य प्रणाली ○ उद्देश्य प्रस्ताव ○ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तित ○ संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य • संविधान सभा की समितियां ○ प्रारूप समिति • संविधान का प्रभाव में आना • संविधान सभा की आलोचना	1
2.	**प्रस्तावना** • प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द • संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना	8
3.	**संविधान की मुख्य विशेषताएं** • भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां	10
4.	**संघ और उसके क्षेत्र** • संवैधानिक प्रावधान • राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास ○ स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन ○ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ○ 1956 के बाद बने नए राज्य ○ 1956 के बाद बनाए गए नए केंद्र शासित प्रदेश	15
5.	**नागरिकता** • संवैधानिक प्रावधान • नागरिकता ○ नागरिकता और संविधान ○ अन्य प्रावधान • नागरिकता अधिनियम 1955 ○ 1.भारतीय नागरिकता का अर्जन ○ नागरिकता की समाप्ति • भारत के प्रवासी नागरिक • भारत में शरणार्थी • नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ○ प्रमुख प्रावधान ○ संशोधन अधिनियम के पक्ष में तर्क ○ संशोधन अधिनियम के खिलाफ तर्क	19

	• नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर
	  ○ एनआरसी का महत्व
	  ○ एनआरसी सूची से छूटने वाले लोगों के लिए प्रावधान
	  ○ विदेशी न्यायाधिकरण
	  ○ चुनौतिया
	• भविष्य के पहलू	

6.	**मौलिक अधिकार**
	• संवैधानिक प्रावधान
	• मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति
	• मौलिक अधिकारों की विशेषताएं
	• छह मौलिक अधिकार
	  ○ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
	  ○ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
	  ○ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
	  ○ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
	  ○ संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
	• रिट और उसके प्रकार
	• मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध
	• मार्शल लॉ(सैनिक विधि)और मौलिक अधिकार
	  ○ मार्शल लॉ (सैनिक विधि) और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच अंतर
	• संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार
	• मौलिक अधिकारों के अपवाद
	• मौलिक अधिकारों का महत्व
	  ○ मौलिक अधिकारों की आलोचना
		29

7.	**राज्य नीति के निदेशक तत्व**
	• संवैधानिक प्रावधान
	• निदेशक सिद्धांतों की विशेषता
	• निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण
	  ○ समाजवादी सिद्धांत (सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना)
	  ○ गांधीवादी सिद्धांत
	  ○ उदार-बौद्धिक सिद्धांत
	• बाद में जोड़े गए नए निदेशक सिद्धांत
	• निदेशक सिद्धांतों की उपयोगिता
	• राज्य नीति के निदेशक तत्व का कार्यान्वयन
	• संविधान के भाग IV के बाहर निदेशक तत्व;
	• मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच संघर्ष
		51

8.	**मौलिक कर्तव्य** • संवैधानिक प्रावधान ○ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें • मौलिक कर्तव्य • मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं • मौलिक कर्तव्यों की आलोचना • मौलिक कर्तव्यों का महत्व • मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति की टिप्पणियां	**58**

9.	**संवैधानिक संशोधन** • संवैधानिक प्रावधान • संशोधन के प्रकार- 1. विशेष बहुमत से संशोधन 2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 3. संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले	**60**
10.	**संविधान की मूल संरचना** • उद्भव • मूल संरचना के घटक	**62**
11.	**संसदीय प्रणाली** • संवैधानिक प्रावधान • संसदीय सरकार ○ भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का कारण ○ संसदीय सरकार की विशेषताएं ○ संसदीय बनाम और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर • संसदीय प्रणाली के गुण • संसदीय प्रणाली के दोष • भारतीय बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल	**67**
12.	**संघीय प्रणाली** • संघीय बनाम एकात्मक प्रणाली	**70**
13.	**केंद्र राज्य संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • विधायी संबंध ○ केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार ○ विधायी विषयों का वितरण ○ अवशिष्ट विषय ○ राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान ○ राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण • प्रशासनिक संबंध ○ कार्यकारी शक्तियों का वितरण ○ राज्यों और केंद्र के दायित्व ○ राज्यों को केंद्र का निर्देश ○ कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधिमंडल ○ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग • वित्तीय संबंध ○ कर शक्तियों का आवंटन ○ राज्य की कर शक्ति पर प्रतिबंध ○ कर राजस्व का वितरण ○ गैर-कर राजस्व का वितरण ○ राज्यों को सहायता अनुदान ○ माल और सेवा कर परिषद • वित्त आयोग ○ राज्यों के हितों का संरक्षण	**74**

	○ केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेना ○ अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति • आपात स्थिति के प्रभाव • प्रशासनिक सुधार आयोग ○ राजमन्नार समिति ○ पुंछी आयोग	
14.	**अंतर्राज्यीय संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन • नदी जल विवाद न्यायाधिकरण • परिषद ○ परिषद की स्थायी समिति ○ क्षेत्रीय परिषद ○ उत्तर पूर्वी परिषद	**86**
15.	**आपातकालीन प्रावधान** • संवैधानिक प्रावधान • आपातकाल के प्रकार 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) 2. राज्य आपातकाल 3. वित्तीय आपातकाल • आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना	**91**
16.	**राष्ट्रपति** • संघ कार्यकारिणी • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव में वोट योग्यता • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें • राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार • राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग • राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति रिक्ति पर चुनाव • राष्ट्रपति की शक्तियां 1. कार्यकारी शक्तियां 2. विधायी शक्तियां 3. वित्तीय शक्तियां 4. न्यायिक शक्तियां 5. राजनयिक शक्तियां 6. सैन्य शक्तियां 7. आपातकालीन शक्तियां • राष्ट्रपति की वीटो शक्ति • राष्ट्रपति की अध्यादेशजारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) • राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति	**96**

	• राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति • राष्ट्रपति का पद	
17.	**उपराष्ट्रपति ((उपाध्यक्ष)** • संवैधानिक प्रावधान • अनुच्छेद • चुनाव • योग्यता • शपथ • कार्यालय की शर्तें • परिलब्धियां • कार्यकाल • कार्यालय में रिक्ति • पद से हटाना • उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद • उपराष्ट्रपति की शक्तियां	**104**
18.	**प्रधानमंत्री** • संवैधानिक प्रावधान • शपथ • योग्यता • कार्यकाल • परिलब्धियां • प्रधानमंत्री की शक्तियां • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध संवैधानिक प्रावधान ○ राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां	**106**

19.	**केंद्रीय मंत्रिपरिषद**
	• संवैधानिक प्रावधान
	• संयोजन
	• मंत्री की नियुक्ति
	• मंत्रियों की शपथ
	• मंत्रियों का वेतन
	• उनके द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति
	• मंत्रियों की जिम्मेदारी
	  ○ व्यक्तिगत जिम्मेदारी
	  ○ सामूहिक जिम्मेदारी
	  ○ कानूनी जिम्मेदारी
	• कैबिनेट बनाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद
	• किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट
	  ○ किचन कैबिनेट की खूबियां
	  ○ किचन कैबिनेट के दोष
	• छाया मंत्रिमंडल
	• कैबिनेट समितियां
	  ○ कैबिनेट समितियों की सूची
	  ○ कैबिनेट समितियों की विशेषताएं
	  ○ कैबिनेट समितियों के कार्य
	  ○ मंत्रियों के समूह
		109

20.	**संसद**
	• संवैधानिक प्रावधान
	• संसद की संरचना
	  ○ राज्य सभा
	  ○ लोकसभा
	• संसद की सदस्यता
	  ○ सीटों का खाली होना
	  ○ शपथ या पुष्टि
	  ○ वेतन और भत्ते
	• संसद के पीठासीन अधिकारी
	  ○ लोकसभा अध्यक्ष
	  ○ लोकसभा के उपाध्यक्ष
	  ○ राज्यसभा के सभापति
	• संसद में नेता
	• संसद के सत्र
	• संसदीय कार्यवाही के उपकरण
	• संसद में विधायी प्रक्रिया
	  ○ साधारण विधेयक
	  ○ धन विधेयक
	  ○ वित्तीय बिल
	  ○ सदनों की संयुक्त बैठक
	• संसद में बजट
	  ○ संवैधानिक प्रावधान/उपबंध
	  ○ भारित व्यय
	  ○ अधिनियमन के चरण/ पारित होने की प्रक्रिया
	• अनुदान
	• केंद्र सरकार के लिए निधियां
	  1. भारत की संचित निधि
	  2. भारत का सार्वजनिक(लोक) खाता
	  3 भारत की आकस्मिकता निधि
	• संसद की शक्तियां और कार्य
	  1. विधायी शक्तियां एवं कार्य
	  2 . कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य
	  3. वित्तीय शक्तियां एवं कार्य
	  4. सांविधानिक शक्तियां और कार्य
	  5. न्यायिक शक्तियां और कार्य
	  6. निर्वाचक शक्तियां और कार्य
	  7. अन्य शक्तियां और कार्य।
	  ○ प्रशासन और सरकार पर संसदीय नियंत्रण
	• राज्यसभा की स्थिति
	  ○ राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ
	  ○ राज्यसभा का महत्व
	• संसदीय विशेषाधिकार
	• संसद की संप्रभुता
	• संसदीय समितियाँ
		114

	○ तदर्थ समितियां ○ स्थायी समितियां • संसदीय मंच(Parliamentary Forums) • संसदीय समूह(Parliamentary Groups)	
21.	**कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान** • संवैधानिक प्रावधान • महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान • नागालैंड से लिए प्रावधान • असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान • आंध्र प्रदेश या तेलंगानाके लिए विशेष प्रावधान • सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान • मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान • अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष प्रावधान • गोवा	**149**
22.	**केंद्र शासित प्रदेश** • केंद्र शासित प्रदेशों का गठन ○ कारण ○ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 • केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन • दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन अधिनियम), 2021	**152**
23.	**अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र** • संवैधानिक प्रावधान • अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन • जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	**154**
24.	**सर्वोच्च न्यायालय** • न्यायिक समीक्षा • न्यायिक न्यायिक सक्रियता • जनहित याचिका • न्यायाधिकरण • राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	**156**
25.	**संवैधानिक निकाय** • भारत के महान्यायवादी • राज्य का महाधिवक्ता • भारत निर्वाचन आयोग • भारत का वित्त आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (SCs) • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (STs) • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBCs) • भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गो के लिए विशेष अधिकारी • भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) • राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) • संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग • वस्तु एवं सेवा कर परिषद (Goods And Services Tax Council)	**167**

26.	**गैर-संवैधानिक उपाय** • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) • राज्य मानवाधिकार आयोग • केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) (Central Information Commission) • राज्य सूचना आयोग (Information Commission) • भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission Of India) • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority Of India) • राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) • राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) • अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission For Minorities) • लोकपाल और लोकायुक्त • नीति आयोग • राष्ट्रीय विकास परिषद	**183**
27.	**अन्य संवैधानिक आयाम** • सहकारी समितियां • (Co-Operative Societies) • राजभाषा • लोक सेवाएं • सरकार के अधिकार और दायित्व • (RIGHTS AND LIABILITIES OF THE GOVERNMENT) • हिन्दी भाषा में संविधान का आधिकारिक पाठ	**197**
28.	**विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान** • अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग	**208**

29.	**निर्वाचन**
	• संवैधानिक प्रावधान
	• भारत में चुनाव के प्रकार
	• चुनाव की आवश्यकता
	• चुनाव का महत्व
	• राजनीतिक दल
	  ○ प्रकार
	  ○ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा
	• विश्व में दलीय व्यवस्था
	• राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को मान्यता
	• क्षेत्रीय दल
	• गठबंधन सरकार
		210

	○ चुनाव तंत्र • चुनाव कानून ○ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 ○ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ○ दलबदल विरोधी कानून ○ 10वीं अनुसूची ▪ विशेषताएं • 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधान • परिसीमन अधिनियम, 2002 • चुनाव सुधार (Electoral Reforms) ○ समितियां और आयोग ○ भारतीय चुनावों में वर्तमान मुद्दे ○ किए गए उपाय ○ आवश्यक सुधार	

1 CHAPTER भारतीय संविधान की मूल विशेषताएँ

- संविधान **नियमों, उपनियमों** का एक ऐसा **लिखित दस्तावेज** है-
  - जिसके अनुसार **सरकार का संचालन** किया जाता है।
  - जो **देश की राजनीतिक व्यवस्था** का **बुनियादी ढाँचा** निर्धारित करता है।
  - जो **राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** की स्थापना, उनकी **शक्तियों तथा दायित्वों** का सीमांकन एवं **राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन** करता है।

संविधान के कार्य

- **8राजनीतिक समुदाय** की **सीमाओं** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- राजनीतिक समुदाय की **प्रकृति और अधिकार** को **घोषित और परिभाषित** करना।
- एक **राष्ट्रीय समुदाय** की **पहचान और मूल्यों को व्यक्त** करना।
- नागरिकों के **अधिकारों और कर्तव्यों** की घोषणा करना और उन्हें **परिभाषित** करना।
- सरकार की **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाएँ** स्थापित करना।
- **सरकार या उप-राज्य समुदायों** के विभिन्न स्तरों के बीच **शक्ति का वितरण** करना।
- राज्य की **आधिकारिक धार्मिक पहचान** घोषित करना|
- विशेष रूप से **सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों** के लिए राज्यों को प्रतिबद्ध करना।

भारत के संविधान का विकास

भारत में कंपनी शासन (1773-1858)

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 *** कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया।**	• **मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी** को **बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन** • बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना • इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड **वारेन हेस्टिंगस** थे। • बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था। • **भारत में केन्द्रीय प्रशासन** की नींव रखी। • कलकत्ता में एक **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)** की गई जिसमें एक मुख्यन्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे। • भारत में कंपनी के **राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों** के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए **कंपनी के निदेशक मंडल** को **आवश्यक कर** दिया।
समझौता अधिनियम(बंदोबस्त कानून), 1781	• 1781 के संशोधन अधिनियम ने **सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** से गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को मुक्त करने के साथ ही **कंपनी के लोक सेवकों के द्वारा अपने कार्यकाल में संपन्न कार्यवाहियों के लिए मुक्त कर दिया गया।** • **कलकत्ता** के सभी **निवासियों** को **न्यायालय के अधिकार क्षेत्र** के **अंतर्गत कर** दिया गया और हिन्दू व मुस्लिमों के बाद उनके निजी कानूनों के हिसाब से तय करने का प्रावधान किया गया। • न्यायालय को **प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून** का प्रशासन करने का अधिकार था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	• **द्वैत शासन प्रणाली** की स्थापना की। ○ कंपनी के **वाणिज्यिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **निदेशक मंडल को अनुमति** दी | ○ अपने **राजनीतिक मामलों** का प्रबंधन करने के लिए **नियंत्रण बोर्ड** नामक निकाय का गठन किया गया। • ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार तथा राजस्व गतिविधियों के पर्यवेक्षण की शक्ति नियंत्रण बोर्ड को प्रदान की गई।
चार्टर अधिनियम, 1813	• भारत में **कंपनी** के **व्यापार एकाधिकार को समाप्त** किया गया। ○ **अपवाद-** चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया। • **कर लगाने** के लिए **स्थानीय सरकारो** को **अधिकृत** किया |
चार्टर अधिनियम, 1833	• **बंगाल का गवर्नर जनरल → भारत का गवर्नर जनरल(GGI) बना।** • GGB = भारत के **प्रथम गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक)।** ○ सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित किया गया। ○ संपूर्ण ब्रिटिश भारत की अनन्य विधायी शक्तियाँ। • कंपनी → विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी।
चार्टर अधिनियम, 1853	• **भारत का गवर्नर जनरल(GGI)** की परिषद के **विधायी और प्रशासनिक** कार्यों का पृथक्करण किया गया। • गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद गठित करके उसे भारतीय विधान परिषद् नाम दिया गया जिसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसने मिनी संसद की तरह कार्य किया। • भारतीयों के लिए भी **भारतीय सिविल सेवाओं** के लिए **खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई।** • भारतीय (केंद्रीय) **विधान परिषद्** में **स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ** किया। (6 सदस्यों में से 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाएँगे)

भारत में क्राउन रूल (1858 से 1947)

भारत सरकार अधिनियम, 1858	• ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया। • **एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया** भी कहा जाता है। • **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)** के पद को **भारत का वायसराय पदनाम दिया गया (लॉर्ड कैनिंग)।** ○ **भारत का गवर्नर जनरल (GGI)-** भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। • **बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स** को समाप्त करके द्वेध प्रणाली को समाप्त किया गया। • भारत के राज्य सचिव, पद का सृजन करके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। • **भारत सचिव** की सहायता के लिए **15 सदस्यीय भारतीय परिषद्** का गठन किया गया।
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861	• भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए वायसराय द्वारा नामांकित करने की व्यवस्था की गई। (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा

	और सर दिनकर राव) • बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की। • वायसराय द्वारा परिषद् के लिए नियम और आदेश बनाए जाएँगे | ○ लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियों प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। • वायसराय आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892	• केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई। • विधान परिषदें बजट पर चर्चा कर सकती हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया | • केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान | • इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद्, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की सिफ़ारिशो पर गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी |
भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909	• मॉर्ले-मिंटो सुधार। • केंद्रीय परिषद् में सदस्य 16 से 60 तक और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या एक समान नहीं थी। • दोनों परिषदों के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे , बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते थे। • वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषदों के साथ किसी भारतीय को संबद्ध होने का प्रावधान। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय) • मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान।
भारत सरकार अधिनियम, 1919	• मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है । • केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया। • प्रांतीय विषय- विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से गवर्नर द्वारा शाषित| • प्रांतीय विषय- गवर्नर द्वारा अपनी कार्यपालिका परिषद् की सहायता से शासित। • देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। • वायसराय की कार्यकारी परिषद् के 6 में से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था । • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। • संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान करना। • लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय बनाया गया। • सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना। • प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935	• अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें राज्य रियासतें एक इकाई मानी गई।
	• शक्तियों का तीन सूचियों में पृथक्करण किया गया।
	  ○ संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय)
	  ○ प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय)
	  ○ समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)।
	• अवशिष्ट शक्तियाँ: वायसराय में निहित किया गया।

	• प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ○ प्रांतों में उत्तरदायी जिम्मेदार सरकारों की शुरुआत की गई। • केंद्र में द्वैध शासन को अपनाकर • संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। • 11 में से 6 प्रांतों (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। • दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाकर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार प्रदान किया गया। • भारतीय परिषद् को समाप्त कर दिया गया। • भारतीय रिजर्व बैंक भारत देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए स्थापना की गई। • संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना । • 1937 में संघीय-न्यायालय स्थापित किया गया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	• माउंटबेटन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया • भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। • 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया। • ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्रों के रूप में विभाजित किया गया। • संविधान सभाओं को अपने संबंधित राष्ट्रों का संविधान बनाने और अपनाने का अधिकार दिया गया | • भारतीय राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को अपनी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। • सिविल सेवकों की नियुक्ति तथा पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। • इंग्लैंड के राजा से भारत के सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया गया । • उसे विधेयकों को वीटो करने के अधिकार से वंचित कर दिया या कुछ विधेयकों को उनके अनुमोदन के लिए आरक्षण देने के लिए कहा। • भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

संविधान सभा

भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान-

- कुल सदस्य = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत।
  - 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं
    - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से 292 सदस्य
    - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से 4 सदस्य
  - देसी रियासतों को 93 सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों, सिखों और सामान्य (अन्य) के बीच विभाजित किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव → एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन - रियासतों के प्रमुखों द्वारा।
- सदस्यों का चयन - अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा।
- जनता की भावनाओं को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 में हुए।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीतीं,
  - मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती,
  - 15 सिटें निर्दलीय प्रतिनिधियों को मिली।
- रियासतों की सीटें नहीं भरी गई क्योंकि उन्होंने खुद को विधानसभा से अलग रखने का निर्णय लिया \|
- सभा में समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

- 28 अप्रैल, 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद अधिकांश रियासतों ने विधानसभा में प्रवेश किया, बाद में भारतीय अधिराज्य से मुस्लिम लीग भी विधानसभा में शामिल हुई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- पहली बैठक- 9 दिसंबर, 1946, केवल 21 सदस्यों ने भाग लिया।
- मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश की माँग की।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, (फ्रांस की तरह)
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था
- एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी → उपाध्यक्ष

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान निर्माण की घोषणा।
  - भारत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का एक संघ होगा जिनकी सीमाएँ होगी तथा संविधान सभा द्वारा निर्धारित जिनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी और जो संघ में निहित सरकार और प्रशासन की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगी।
  - संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और अधिकार भारत की जनता से प्राप्त होगी।
  - भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर की समता और कानून के समक्ष विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, संघ और कार्य की स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  - न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणराज्य के क्षेत्र और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों की अखंडता बनाए रखें।
  - दुनिया में अपना सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करना और विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा परिवर्तित

- संविधान सभा → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया |
- संविधान सभा: एक विधायी निकाय बन गया। जो कि `संविधान बनाने और देश के लिए सामान्य कानून बनाने के लिए जिम्मेदार।
  - संवैधानिक निकाय के रूप में काम किया → डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में।
  - एक विधायिका के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवंबर, 1949 तक)।
- मुस्लिम लीग विधानसभा से हट गई।
  - संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटाकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई, 1949
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई, 1947 को
- राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी, 1950 को
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया 24 जनवरी, 1950 को
- संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया 24 जनवरी, 1950 को लेकिन 26 जनवरी, 1950 से 1951-52 में पहले आम चुनाव होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा ।

संविधान सभा की समितियां-

	समिति	अध्यक्षता
प्रमुख समितियाँ	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
	संघीय राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू
	प्रारूप समिति	सरदार पटेल

	प्रांतीय संविधान समिति	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – 5 उप समितियाँ	सरदार पटेल
	(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे. बी. कृपलानी
	(ii) अल्पसंख्यक उप समिति	एच.सी. मुखर्जी
	(iii) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम अपवर्जित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई
	(iv) बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति	ए.वी. ठक्करी
	(v) उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति	अदद
	संचालन समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त और कर्मचारी समिति	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
	साख समिति	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति कार्य संचालन समिति	बी पट्टाभि सीतारमैया डॉ. के.एम. मुंशी
	संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिये तदर्थ समिति संघ के संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एस.के. डार (जो की सभा के सदस्य नहीं थे)
	प्रारूप संविधान की जाँच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी (जो की सभा के सदस्य नहीं थे)

प्रारूप समिति-

- 29 अगस्त 1947 को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।
- समिति सदस्य सात -
  - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
  - डॉ. के.एम. मुंशी।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
  - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर)।
  - टी.टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)।

- संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया फरवरी, 1948 में
- दूसरा प्रारूप प्रकाशित हुआ अक्टूबर, 1948 में।

संविधान का प्रभाव में आना

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया।
- प्रारूप पहली बार पढ़ा गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई।
- संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
- तीसरी बार 14 नवंबर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
- 26 नवंबर, 1949 (संविधान दिवस) को पारित किया गया ।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए प्रारूप संविधान में निहित है – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ।

संविधान का प्रवर्तन-

- 395 अनुच्छेद |
- 8 अनुसूचियाँ।

- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित। नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवंबर, 1949 को लागू। शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए।
- संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए।
- एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट (1949) लागू रहा ।

संविधान सभा की आलोचना-

- प्रतिनिधि निकाय नहीं - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं हुआ ।
- एक संप्रभु निकाय नहीं - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- अमेरिकी संविधान
- (केवल 4 महीने) की तुलना में संविधान बनाने में अधिक समय लगा |
- कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
- वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व रहा।
- हिंदुओं का वर्चस्व रहा।

- एल .एन. मुखर्जी = संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा = सुलेखक (कैलिग्राफर) - संविधान के मूल शब्दों को प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया ।
- नंद लाल बोस और बेहर राममनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया।
- हिंदी संस्करण की सुलेख = वसंत कृष्ण वैद्य।
  - सजाया और प्रकाशित = नंद लाल बोस ।
- हाथी = संविधान सभा का प्रतीक। हाथी की मूर्ति सभा की मुहर पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से भारत के संविधान में हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया था।
  - हिंदी प्रारूप- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए डाला गया।

2
CHAPTER

प्रस्तावना

भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यब्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवतृ दो हजार छह विक्रमी) को एतदृद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- संविधान का परिचय या प्रस्तावना,संविधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- संविधान के आधार के रूप में बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है।
- संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- शेष संविधान के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया था।
- न ही विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही कोई निषेधक।
- गैर-न्यायसंगत कानून की अदालतों में लागू करने योग्य नहीं।
- बुनियादी ढाँचे को बदले बिना संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावना के मूल तत्व

- संविधान के अधिकार का स्रोत → भारत के लोग।
- भारत की प्रकृति भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है।
- संविधान के उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
- संविधान को अपनाने की तिथि - यह तारीख 26 नवंबर, 1949 है।

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख शब्द

- **संप्रभुता -** पूर्ण संप्रभु सरकार वह है जो किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है तथा अपने आंतरिक या बाहरी मामलों के निष्पादन में स्वतंत्र है। संप्रभु

हुए बिना किसी देश का अपना संविधान नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु देश है। यह किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है।

- **समाजवादी** - मूल संविधान का हिस्सा नहीं।
  - 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
  - आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।
  - असमानताओं को दूर करने, सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आदर्शों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता।
- **धर्मनिरपेक्षता** - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  - भारत न तो धार्मिक है, न अधार्मिक है और न ही धर्म विरोधी है।
  - कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं- राज्य किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है।
- **लोकतांत्रिक गणराज्य** - सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
  - लोकतांत्रिक प्रावधान - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार।
  - गणतंत्र - राज्य का निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति → प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) ब्रिटेन जैसा वंशानुगत शासक नहीं।
- **न्याय** - लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास, निर्णय लेने में भागीदारी और मनुष्य के रूप में सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकारों के संदर्भ में वे क्या हकदार हैं।
  - रूसी क्रांति (1917) से न्याय के तत्वों को लिया गया है।
  - न्याय के तीन आयाम- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
    - **सामाजिक न्याय** - जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार।
    - **आर्थिक न्याय** - आर्थिक कारकों पर गैर-भेदभाव।

      सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = 'वितरणात्मक न्याय'
    - **राजनीतिक न्याय** - सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुँच और सरकार तक अपनी बात रखने का अधिकार ।
- **स्वतंत्रता** - विचार और अभिव्यक्ति की व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना।
  - फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) से लिया गया।
- **समानता** - समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान।
  - समानता के तीन आयाम- नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक।
- **बंधुत्व** - भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता की व्यवस्था और अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) द्वारा बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना -

बेरुबारी संघ बनाम अज्ञात मामला, 1960	केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973	केंद्र सरकार बनाम एलआईसी ऑफ इंडिया मामले , 1995
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है' लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है।	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान की विधियों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।"	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय के न्यायालय में सीधे लागू करने योग्य नहीं है।

3 CHAPTER संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- सबसे लंबा लिखित संविधान - इसमें शामिल हैं -
  - राज्यों और केंद्र और उनके अंतर्संबंधों के लिए अलग प्रावधान।
  - दुनिया के कई स्रोतों और संविधानों से उधार के प्रावधान।

देशों	भारतीय संविधान की अन्य संविधानों से प्रेरित विशेषताएँ
ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कनाडा	• एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना • केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति • अनुसूचित जाति का सलाहकार क्षेत्राधिकार
आयरलैंड	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
यूएसएसआर/रूस	• मौलिक कर्तव्य • प्रस्तावना में न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)
यू. के.	• संसदीय सरकार • कानून का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • कैबिनेट प्रणाली • विशेषाधिकार रिट • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदन • कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
जापान	• कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
यू. एस.	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना • उपाध्यक्ष का पद
जर्मनी (वीमर)	• आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन
दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव

फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान।
  - अधिकारों की विस्तृत सूची, डीपीएसपी और प्रशासन प्रक्रियाओं का विवरण।
  - मूल रूप से (1949) में एक प्रस्तावना, 395 लेख (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियां थीं।
  - वर्तमान में, इसमें एक प्रस्तावना, 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और अब तक के 104 संशोधन शामिल हैं।
- कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -
  - कुछ हिस्सों में सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
  - कुछ संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित करने की भी आवश्यकता होती है।
- भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में- भारत अपने लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासित होता है।
- सरकार की संसदीय प्रणाली- संसद मंत्रिपरिषद् के कामकाज को नियंत्रित करती है
  - कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के राष्ट्रपति, जो पांच साल तक पद पर बने रहते हैं, नाममात्र, नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख (कार्यकारी) होते हैं।
    - पीएम वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद् के प्रमुख होते हैं जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- एकल नागरिकता- संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल नागरिकता और पूरे भारत में सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है जो 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
  - प्रत्येक भारतीय जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का हकदार है।
- स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली- कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त।
  - सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एससी जिसके नीचे हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) और निचली अदालतें आती हैं।
- मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी -
  - मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित सीमाओं के अधीन हैं और कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं।
  - राज्य कस नीति निदेशक तत्व शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं और कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।
  - 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्य नैतिक विवेक हैं जिनका नागरिकों को पालन करना चाहिए।
- एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति के साथ संघ- भारत विनाशकारी राज्यों के साथ एक अविनाशी संघ है। जिसका अर्थ है कि यह आपातकाल के समय एकात्मक चरित्र प्राप्त करता है।
- न्यायिक समीक्षा के साथ संसदीय सर्वोच्चता को संतुलित करना- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां -

भाग	विषय - वस्तु	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसके क्षेत्र	1- 4
II	नागरिकता	**5** -11
III	मौलिक अधिकार	12-35
IV **IV-A**	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य	36-51 51-A
V	केंद्र सरकार	52-151
	अध्याय I - कार्यकारी अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ की न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	52 -78 79 - 122 123 124 - 147 148- 151
VI	राज्य सरकारें	152-237
	अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश	152 153- 167 168- 212 213 214- 232 233- 237
VII	केंद्र शासित प्रदेश	239-242
VIII	पंचायतें	243-243-(O)
VIII-A	नगर पालिकाओं	243-(P) to 243-(ZG)
VIII-B	सहकारी समितियां	243-(ZH) to 243-(ZT)
IX	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संघ और राज्यों के बीच संबंध	244-244 (A) 245-263
X	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 -255 256 -263
XI	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट	264 - 300-A
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - उधार लेना अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और सूट अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264- 291 292 -293 294- 300 300-A

XII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 -307
XIII	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 -323
	अध्याय I - सेवाएं अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 -314 315- 323
XIII-A	न्यायाधिकरण	323(A) -323(B)
XIV	चुनाव	324 - 329(A)
XV	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 -342
XVI	राजभाषा	343 -351
	अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ अध्याय III-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा और इसी तरह अध्याय IV- विशेष निर्देश	343- 344 345 -347 348 -349 350 -351
XVII	आपातकालीन प्रावधान	352 -360
XVIII	विविध	361 -367
XIX	संविधान का संशोधन	368
XX	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	369-392
XXI	संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन	393-395

अनुसूचियां संविधान में सूचियां हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

संख्या	विषय - वस्तु
पहली अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार (सीमाएँ)।
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियों पर भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान
	1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तीसरी अनुसूची	शपथ या पुष्टि के रूप
	1. केंद्रीय मंत्री

	2. संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 6. राज्य के मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान।
सातवीं अनुसूची	सूची I (संघ सूची), सूची II (राज्य सूची) और सूची III (समवर्ती सूची) के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ। मूल रूप से इसकी 14 भाषाएं थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वे हैं - असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
नौवीं अनुसूची	भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13 लेकिन वर्तमान में 282) 19। अन्य मामलों से निपटने वाली संसद। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि, 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं।
दसवीं अनुसूची	दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 29 मामले हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
बारहवीं अनुसूची	नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। इसमें 18 मामले हैं। यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

4 CHAPTER संघ और उसके क्षेत्र

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के भाग I में अनुच्छेद 1- 4 I

लेख	प्रावधान
1.	संघ का नाम और क्षेत्र
2.	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3.	नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन
4.	अनुच्छेद 2 और 3 कस अंतर्गत निर्मित कानून जो कि I और IV अनुसूचियों और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन करने के लिए।

अनुच्छेद 1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

- भारत, राज्यों का एक संघ होगा न कि राज्यों का समूह।
- उनके राज्य और क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
- भारत का क्षेत्र -
  - राज्यों के क्षेत्र,
  - पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश,
  - ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है।

भारत संघ - कम व्यापक -

- इसमें केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय व्यवस्था के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा कर रहे हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं।

भारत का क्षेत्र - अधिक व्यापक -

- इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
- राज्य और क्षेत्र - संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 'राज्यों के परिसंघ पर राज्यों के संघ को प्राथमिकता देने के लिए कहा कि -

- भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है
- राज्यों को महासंघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है।
- देश एक एकल इकाई है और सुचारू प्रशासन के लिए राज्यों में विभाजित है।

अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

- नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है या **नियमों और शर्तों पर** क़ानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है जैसा कि **संसद उचित समझे।**
- **उदाहरण - संसद ने पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम की फ्रांसीसी बस्तियों, गोवा की** पुर्तगाली **बस्तियों और दमन** आदि को भारत में स्वीकार किया है।
- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना जो भारत का हिस्सा नहीं थे/हैं।

अनुच्छेद 3. नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

- संसदीय कानून द्वारा हो सकती है -
  - किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना।
  - किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाएँ।
  - किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटाएं।
  - किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलें।
  - किसी भी राज्य का नाम बदलें।